


19
मूनिग०/रीवा/भूय०/2018/02124

न्यायालय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा जिला

रीवा म०प्र०



मोहनलाल भट्ट पिता लक्ष्मीशंकर भट्ट निवासी ग्राम सेमरिया तहसील

सेमरिया जिला रीवा म०प्र०

..... निगरानीकर्ता

बनाम

नारायण गुप्ता पिता जवाहरलाल गुप्ता निवासी ग्राम सेमरिया तहसील

सेमरिया जिला रीवा म०प्र०

..... गैरनिगराकार

निगरानी बिरुद्ध राजस्व निरीक्षक

मण्डल सेमरिया के न्यायालय में

मामलाक० 31/2017-18 आदेश

दिनांक 14.12.17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०

भू-राजस्व संहिता 1959 ई०।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2017 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. यह कि गैरनिगराकार द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि खसरा क० 379/2/क/1 के सम्बन्ध में संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय

1 के ले.
द्वारा पेश।
18
म
जिला के आफ कोर्ट
मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट ऑफिस)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

19

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/रीवा/भूरा/18/02124

मोहनलाल बनाम नारायण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-06-18 रीवा कैम्प	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। समय समय पर तीन बार आवाज लगवाई गयी। आवेदक को सुनवाई दिनांक की जानकारी होने के उपरांत प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण अदम पैरवी में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p>	<p>20/6/18 सदस्य</p>

21